

**Central Goods & Services Tax Act, 2017**

**Section 97 : Application for advance ruling**

- (1) An applicant desirous of obtaining an advance ruling under this Chapter may make an application in such form and manner and accompanied by such fee as may be prescribed, stating the question on which the advance ruling is sought.
  - (2) The question on which the advance ruling is sought under this Act, shall be in respect of,—
    - (a) classification of any goods or services or both;
    - (b) applicability of a notification issued under the provisions of this Act;
    - (c) determination of time and value of supply of goods or services or both;
    - (d) admissibility of input tax credit of tax paid or deemed to have been paid;
    - (e) determination of the liability to pay tax on any goods or services or both;
    - (f) whether applicant is required to be registered;
    - (g) whether any particular thing done by the applicant with respect to any goods or services or both amounts to or results in a supply of goods or services or both, within the meaning of that term.
-

**धारा 97 : अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन**

- (1) इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला आवेदक, ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, उन प्रश्नों का कथन करते हुए, जिन पर अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की गई है, एक आवेदन कर सकेगा।
- (2) वह प्रश्न, जिस पर इस अधिनियम के अधीन अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की जाती है, निम्नलिखित के संबंध में होगा—
  - (क) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों का वर्गीकरण;
  - (ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचना का लागू होना;
  - (ग) मालों या सेवाओं या दोनों के समय और मूल्य का अवधारण;
  - (घ) संदत्त या संदत्त किए गए समझे गए इनपुट कर प्रत्यय की ग्राह्यता;
  - (ङ) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों पर कर के संदाय का दायित्व का अवधारण;
  - (च) क्या आवेदक से रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा है;
  - (छ) क्या आवेदक द्वारा किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के संबंध में की गई किसी विशिष्ट बात का अर्थ या परिणाम उस पद के अर्थान्तर्गत मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के रूप में होता है।